FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

[अदाल]त सहायक कलक्टर (SDO) [illegible] मुकाम ....

देवराज वगैरा बनाम कुलदीप सिंह वगैरा

[कि]स्म मुकदमा 111, 128 [illegible] नं. 250/19 सन ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.07.19	~~प्रार्थी~~/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत पुनड़ ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद/अपील~~ धारा 111, 128 ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/~~प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04.09.19 को पेश हो। [initials]	
04/09/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील क्रम तामील प्रस्तुत। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/10/2019 को पेश हो। [initials]	
22/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील क्रम तामील प्रस्तुत। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 04/11/19 को पेश हो। [initials]	
04/11/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते गलत संयोजित किये गये विप्रार्थीगणों के नाम हटवाने बाबत का प्रस्तुत किया जाकर विप्रार्थीगण संख्या-20, 76 से 79 व 86 का नाम वादपत्र से विलोपित किये जाने का निवेदन किया गया जिनके नाम भूल से संयोजित हो गये हैं साथ ही [illegible] संशोधित शीर्षक पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर [illegible] से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक [illegible] [initials]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:29:14 IST
Reason: SelfAttested

06/01/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 23/03/2020 को पेश हो। [initials]

23/03/2020 पत्रावली आज पेश हुई। कोविड - 2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 09/06/2020 को पेश हो। [initials]

09/06/2020 पत्रावली आज पेश हुई। कोविड - 2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 08/09/2020 को पेश हो। [initials]

08/09/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना - पत्र वास्ते गलत संयोजित विपक्षीगणों के नाम हटाने बाबत मय संशोधित शिर्षक पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना - पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या - 20, 76 से 79 व 86 का नाम आवेदन मिसों से हटाया जाकर संशोधित शिर्षक रेकर्ड पर लिया जाता है। शेष विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं आया लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 26/10/2020 को पेश हो।

[signature]

सहायक कलक्टर (SDO)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:29:14 IST
Reason: SelfAttested

26/10/2020 [margin of next sheet]

... व हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/10/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेना जेड़ माये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मार्ड व डोल आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेढो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु नेखमबन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:29:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद / 2019 / 951

दिनांकः– 10/11/2020

आवेदन संख्या – 250 / 19

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्री देवाराम पुत्र किशनाराम वगैरा 3 निवासी खोखसर, तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

श्री कुलदीपसिंह पुत्र विशनसिंह वगैरा 102 निवासी खोखर पश्चिम, तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

~~संशोधित~~ आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा–खोखर, पटवार मण्डल–खोखर, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1010 रकबा 28.09 बीघा, मौजा धांधुपुरा पटवार मण्डल–खोखर, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 267, 270 रकबा क्रमशः 20.06, 19.10 बीघा व मौजा कंकोलगढ़, पटवार मण्डल–खोखर के खेत खसरा नम्बर 86 रकबा 21.09 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर
(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 10/11/2020

क्रमांक / वाद / 2019 / 952 to 956

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, खोखर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री देवाराम पुत्र किशनाराम वगैरा 3।
4. विप्रार्थीगण श्री कुलदीपसिंह पुत्र विशनसिंह वगैरा 102।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:29:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु